न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–184/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00232)

1. हनुमान सहाय पुत्र हरबक्स, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र रामेश्वर, जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. लादी देवी पत्नी स्व0 प्रभूनारायण जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. चन्दाराम उर्फ रामचन्द्र पुत्र जग्गू उर्फ जगन्नाथ, जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रामनिवास पुत्र जग्गू उर्फ जगन्नाथ जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. हरिनारायण पुत्र जग्गू उर्फ जगन्नाथ जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

6. प्रभू पुत्र कानाराम, जाति, बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. मदन पुत्र हरबक्स, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. सीताराम पुत्र हरबक्स, जाति बागड़ा ब्राहाण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

निर्णय

दिनांकः 07.10.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 16.05.2018 (प्रकरण संख्या 38/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2018 विधि–विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित पारित किया गया है जो निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया गया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते तलबी अप्राथी संख्या 4 व 5 हेतु विगत 1 वर्ष 6 माह से अधिक समय से तलबी हेतु नियत चला आ रहा था, दिनांक 20.01.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस के आदेश अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की तलबी हेतु जारी किये गये है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की रजिस्टर्ड तामील करवाये बिना प्रकरण अपीलार्थी को सूचना दिये बिना, नियत तारीख पेशी दिनांक 03.05.2018 को पत्रावली न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत नही की जाकर अचानक दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पूनाना में पत्रावली नियत की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

जाकर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के तहत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प लोक अदालत में आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2018 पारित किया है जबकि कैम्प लोक अदालतों का अयोजन केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि राजस्व न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारान में आपसी समझाईश व सहमति से किया जा सके तात्पर्य यह कि कैम्प लोक अदालत के माध्य से किसी भी प्रकार का आदेश पारित किये जाने की पुरोभव्य शर्त है कि मामले मे पक्षकारान यदि किसी बिन्दू पर सहमत है तो ही लोक अदालत के माध्य से मामले में आदेश पारित किया जा सकता है कि यदि उक्त पुरोभव्य शर्त का अभाव है तो कैम्प लोक अदालत मामले में आदेश पारित करने की अधिकारिता नही रखती है क्योंकि कैम्प लोक अदालत पक्षकारान की सहुलियत के लिये लगाई गई थी ना की आनन–फानन में मामलों का निस्तारण किये जाने के लिये, हस्तगत मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया आनन–फानन में की गई कार्यवाही का घोतक है, अपीलार्थी यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि अपीलार्थी का कैम्प लोक अदालत का नोटिस व्यक्तिशः तामील नही हुआ है ना ही अपीलार्थी को कैम्प लोक अदालत बाबत सूचना हुई है इसलिये मामले में पारित आदेश न्याय के सिद्धान्त तथा सुनवाई के अधिकार के सिद्धान्त के विपरित होने के कारण आपस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरामाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 5 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान आदेश दिनांक 01.06.2016 की पालना में पत्थरगढ़ी के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.10.2016 को उपस्थित होने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 तक लगभग 2 वर्ष तक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं जवाब प्रस्तुत नही किये, धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसमें सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् भी किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 5 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में जो आधार लिये है वो अन्य रेस्पोडेन्ट को माध्यम बनाते हुय प्रस्तुत किये है जबकि अपील अपीलान्ट को अपने तथ्यों आधार न्यायालय श्रीमान् को बताने होंगे बल्कि वास्तविकता तो यह है कि अपीलान्ट द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2 वर्ष का समय लिये जाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई जवाब व आपत्ति प्रस्तुत नही की ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश लोक अदालत कैम्प में होने का कथन किया है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत एवं राजस्व कैम्प आयोजित किये थे जिसमें समस्त पक्षकारों को सूचित किया गया था एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्व कैम्पों में प्रकरण गुणावगुण एवं राजीनामा के आधार पर निस्तारित किये गये थे ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 02.04.2018 को पत्रावली पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्यों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 03.05.2018 को पेश होने की आदेशिका लिखी गई है तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 03.05.2018 को पेश ना होकर सीधे ही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प में दिनांक 16.05.2018 पेश होकर निर्णित हुई है जिसमें रेस्पोडेन्ट उपस्थित रहा है किन्तु अपीलान्ट को ना तो इस सम्बन्ध में नोटिस जारी करने या अपीलान्ट के कैम्प कोर्ट में उपिस्थत होने के तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है, साथ ही लोक अदालत में केवल पक्षकारान की आपसी सहमति से ही प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 में अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सहमति प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 को विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तवेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
सभागीय आयुक्त,
जेयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।